स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

(सक्सेसर टू हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड)

बनाम

भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य

9 मई, 1997

[के. रामास्वामी और डी. पी. वाधवा, जे. जे.]

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971:

बेदखली कंपनी ने जीवन बीमा निगम से परिसर किराए पर ले लिया कंपनी के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही शुरू की-कॉम पैनी ने रिट याचिका दायर की और तर्क दिया कि मामले को उच्च शक्ति समिति को भेजा जाए-रिट याचिका खारिज कर दी गई-आयोजित, उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की जो हमारा हस्तक्षेप की जरूरत पड़ा हो।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय

विशेष अनुमति याचिका (सी) 9984/1997

(दिल्ली उच्च न्यायालय की सिविल रेट 1085/1997 निर्णय और आदेश दिनांक 13.3.97)

याचिकाकर्ता की ओर से डी. के. सिन्हा और अजीत पुद्दुसरी।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

यह विशेष अनुमति याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो सी. डब्ल्यू. नंबर 1085/97 में 13.3.1997 पर की गई है।

याचिकाकर्ता के पूर्ववर्ती-कंपनी ने विवादित परिसर, जीवन बीमा निगम से, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली की चौथी मंजिल पर किराए पर लिया था, याचिकाकर्ता ने परिसर खाली नहीं किया था, सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत बेदखली के लिए कार्रवाई की गई थी । याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा कि इस न्यायालय ने आई. ए. Nos.4 & 5/1992 में दीवानी अपील संख्या में निर्देश जारी किए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और संबंधित मंत्रालय की भारत सरकार के बीच विवादों को हल करने के लिए कैबिनेट सचिव, विधि मंत्रालय में एच सचिव और सार्वजनिक क्षेत्र ब्यूरो में सचिव से बनी एक समिति द्वारा

एक उच्च शक्ति समिति का गठन करना ताकि समय ए की अनावश्यक खपत और जनता की बर्बादी के बिना विवादों को तय करने के उपक्रमों ने याचिकाकर्ता ने इस तरह के संदर्भ की मांग की है और तर्क दिया है कि उच्च शक्ति समिति एवं विवादों का तय करना था । हम इन तर्कों में कोई बोल नहीं पाते ।

उन मामलों में निर्देश जारी करने का उद्देश्य यह तय करना था कि सार्वजनिक धन को बचाने के लिए प्रमुख नीतिगत मामलों के मामले में वित्तीय विवाद और बी अदालतों का मूल्यवान समय, और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जा सकता है। भारत सरकार या राज्य सरकार का इरादा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों) अधिनियम के तहत किसी कंपनी या सार्वजनिक उपक्रम को बेदखल करने जैसे विवादों का समाधान नहीं करना था; ऐसे छोटे विवादों को उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा निपटाने का निर्देश नहीं दिया जाता है, जिनका अन्यथा कर्तव्य और समय बहुत महत्वपूर्ण है, इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने के लिए कोई त्रुटि नहीं की है।

विशेष अनुमति याचिका तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।